रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246874
CG-DL-E-30062023-246874

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2023/आषाढ़ 7, 1945
No. 447] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2023/ASHADHA 7, 1945

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

फा. सं. सी. डी. एन. 19012/15/2022/समन्वय-एनएमसी.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में प्रदत्त संपूर्ण शक्तियों विशेषकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 [2019 का अधिनियम 30] की धारा 15 के साथ पठित धारा 57 का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

अध्याय 1

प्रारंभिक, संक्षिप्त-शीर्षक, परिभाषाएँ

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

क) इन विनियमों को "एन एम सी, राष्ट्रीय निकास परीक्षा विनियम, 2023" कहा जाएगा।

ख) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से शीघ्र प्रवृत्त हो जाएगें।

2. **परिभाषाएँ**

क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 [2019 का अधिनियम 30] अभिप्रेत है ।

ख) "अध्यक्ष" से धारा 5 के तहत नियुक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

ग) "आयोग" "एनएमसी" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत है।

घ) "परिषद" या "मैक" से धारा 11 के अधीन गठित चिकित्सा सलाहकार परिषद अभिप्रेत है।

ङ) "विदेशी चिकित्सा स्नातक" से भारत के अलावा किसी अन्य देश से मेडिकल डिग्री के साथ स्नातक अभिप्रेत होगा और वह भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली का अभ्यास करने के लिए पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त है, जो उपयुक्त निकायों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और लागू होने वाली आवश्यकताओं और शर्तों की पूर्ति के विषयाधीन है।

च) "सदस्य" से धारा 5 के तहत नियुक्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत होगा और इसमें उसका अध्यक्ष भी शामिल होगा ।

छ) **"**राष्ट्रीय निकास परीक्षा**"** (एनईएक्सटी)**:** राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय निकास परीक्षा का संक्षिप्त रूप।

ज) "अधिसूचना" से भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत और "अधिसूचित" अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा।

झ) "निर्धारित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए निर्धारित नियम अभिप्रेत है।

ञ) **"**अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 18 के अधीन नियुक्त एक स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

ट) "मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता" से धारा 35 या धारा 36 या धारा 37 या धारा 40 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो ।

ठ) **"**विनियम" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ।

ड) **"**अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।

व्याख्या - इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और वाक्यांश जो यहां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें सौंपा गया है।

3 सामान्य

1. आयोग या एक उपयुक्त निकाय या प्राधिकरण या संस्थान जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रीय निकास परीक्षा आयोजित करेगा जैसा कि यहां विनिर्दिष्ट किया गया है :

2. राष्ट्रीय निकास परीक्षा (एनईएक्सटी) निम्नलिखित का आधार बनेगी:

   i. भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली का अभ्यास करने के लिए पंजीकरण करने के लिए चिकत्सा स्नातक की पात्रता को प्रमाणित करना और इसलिए लाइसेंस परीक्षा के रूप में कार्य करना।

   ii. व्यापक चिकित्सा विशिष्टताओं में देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने को इच्छुक लोगों को प्रवेश देने के उद्देश्य से पात्रता और रैंकिंग निर्धारित करना और इसलिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा एजेंसी के रूप में कार्य करना।

3. राष्ट्रीय निकास परीक्षा (एनईएक्सटी) निम्न पर लागू होगा:

   i. राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों सहित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा अनुमोदित सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले सभी स्नातक मेडिकल छात्र।

   ii. भारत में एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंस विनियमन की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी विदेशी चिकित्सा स्नातक का मामला इस तरह से हो जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

   iii. कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास मेडिकल डिग्री है, जैसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम, प्रेक्षण या किसी अन्य उद्देश्यों के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा समय-समय पर नियत अधिसूचना या विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट और अनुमोदित किया जा सकता है।

   iv. वे सभी जिन्हें इस तरह के अभ्यास के लिए उस समय लागू विनियम के अनुसार अभ्यास करने के लिए लाइसेंस दिया गया है और वे राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर / राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत हैं, जैसा

भी मामला हो और जो व्यापक चिकित्सा विशिष्टताओं के अनुरूप स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने को इच्छुक हो ।

4. आयोग समय-समय पर उपयुक्त विनियमों और/या अधिसूचना द्वारा व्यापक चिकित्सा विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से राष्ट्रीय निकास परीक्षा के परिणामों का उपयुक्त उपयोग करने के तरीके को विनिर्दिष्ट करेगा।

5. यह निहित है कि जब भी राष्ट्रीय निकास परीक्षा लागू होता है, तो संबंधित समकक्ष मौजूदा परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा/उस उद्देश्य के लिए लागू नहीं की जाएगी, जिसके लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा उपयुक्त होगी। हालाँकि, यदि पिछले बैचों के लिए मौजूदा परीक्षाएँ लागू हैं जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है, तो मौजूदा परीक्षाएँ ऐसे समय तक जारी रहेंगी जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाए । यह इस समझ पर आधारित होगा कि राष्ट्रीय निकास परीक्षा अंततः समकक्ष मौजूदा परीक्षाओं को बदल देगा। स्कोर का उपयोग और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्यीकरण और राष्ट्रीय निकास परीक्षा, जब समवर्ती रूप से लागू हो, इस तरह के उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो सकता है, जब भी आवश्यक हो और आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय 2

राष्ट्रीय निकास परीक्षा की व्यापक रूपरेखा और सामान्य विशेषताएं

2.1 राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1

i. राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 एक सैद्धांतिक परीक्षा होगी।

ii. प्रश्न एक या एक से अधिक प्रकार के बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।

iii. परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

iv. आयोग चिकित्सा संस्थानों में व्यापक विशिष्टताओं स्नातकोत्तर सीटों पर प्रवेश के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को विनियमों और / या अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा। भारत सरकार सभी व्यापक विशिष्टताओं वाली स्नातकोत्तर सीटों की काउंसलिंग के लिए एजेंसी का निर्धारण और अधिसूचित करेगा।

v. परीक्षा में III एमबीबीएस/अंतिम एमबीबीएस, भाग 1 और भाग 2 दोनों के विषयों को शामिल करते हुए छह पेपर शामिल होंगे:

- चिकित्सा और संबद्ध विषय
- सर्जरी और संबद्ध विषय
- प्रसूति एवं स्त्री रोग
- बाल चिकित्सा
- ओथोरिनोलरींगोलॉजी
- नेत्र विज्ञान

[एमबीबीएस I और एमबीबीएस II के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के अनुप्रयुक्त पहलू एवं एमबीबीएस III/ अंतिम एमबीबीएस भाग 1 के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के अनुप्रयुक्त पहलू]

vi. वे सभी छात्र जिन्होंने आयोग द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से III एमबीबीएस/अंतिम एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वे परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

vii. नियमित राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 परीक्षाएं वर्ष में दो बार मई और नवंबर के महीनों में या आयोग द्वारा अधिसूचित किसी अन्य समय में आयोजित की जाएंगी।

viii. राष्ट्रीय निकास परीक्षा के चरण 1 में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उम्मीदवार ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल होने के 10 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 और चरण 2 परीक्षा दोनों उत्तीर्ण की हों।

ix. स्कोर में सुधार के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते स्कोर में सुधार के लिए ये परीक्षाएं राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 के पूरा होने के बाद ली जाती हैं। राष्ट्रीय मानक परीक्षा के चरण 2 के पूरा होने तक स्कोर में सुधार के लिए उम्मीदवार राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 में उपस्थित होने का हकदार नहीं है।

x. अगला चरण 1 पारंपरिक विश्वविद्यालय/III एमबीबीएस/अंतिम एमबीबीएस भाग II की संस्थागत थ्योरी परीक्षाओं को प्रतिस्थापित करेगा। III एमबीबीएस / फाइनल एमबीबीएस पार्ट 1 और III एमबीबीएस / फाइनल एमबीबीएस पार्ट II प्रैक्टिकल / क्लीनिकल परीक्षाएं तब तक पारंपरिक रूप से आयोजित होती रहेंगी जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता।

2.2 राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2

i. राष्ट्रीय निकास परीक्षा का चरण 2 में सात नैदानिक विषयों/विषयों को शामिल करते हुए एक व्यावहारिक / नैदानिक और मौखिक परीक्षा होगी।

- चिकित्सा और संबद्ध विषयों
- सर्जरी और संबद्ध विषयों
- प्रसूति एवं स्त्री रोग
- बाल चिकित्सा
- ओथोरिनोलरींगोलॉजी
- आर्थोपेडिक्स और पीएमआर (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास)

ii. परीक्षा वस्तुपरक, क्लिनिकल केस आधारित, सिम्युलेटेड केस/मरीज आधारित होगी जिसका उद्देश्य एक भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट से अपेक्षित व्यावहारिक/क्लिनिकल कौशल, नैदानिक निर्णय लेने और संचार कौशल का मूल्यांकन करना है।

iii. परीक्षा व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जाएगी और संबंधित राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा तय किए गए मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। जहां राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय मौजूद नहीं हैं, आयोग संबंधित कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 आयोजित करने के लिए अधिकृत विश्वविद्यालय/संस्थान पर निर्णय लेगा।

iv. वर्ष में दो बार नियमित राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 परीक्षा होगी।

v. राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 पूरक परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी और केवल उन उम्मीदवारों तक सीमित है जो सात विषयों में से एक या अधिक में असफल रहे हैं और विषयों को दोहराने की आवश्यकता है। यदि कोई अभ्यर्थी तीन से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे पूरक परीक्षा में सभी सात विषयों में नए सिरे से उपस्थित होना होगा।

vi. राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उम्मीदवार ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल होने के 10 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 और राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2.3 राष्ट्रीय निकास परीक्षा स्कोर

1. स्कोरिंग की स्वरुप

i. राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 में अंकों की गणना पूरी संख्या के रूप में की जाएगी जो उचित दशमलव के साथ रॉ स्कोर के रूप में काम करेगी और बाद में संबंधित प्रतिशत [अधिकतम 100 में से अंक] उपयुक्त दशमलव के साथ गणना की जा सकती है यदि आवश्यक हो।

ii. राष्ट्रीय निकास परीक्षा 2 परीक्षा परिणाम केवल मूल्यांकन किए जा रहे उपयुक्त योग्यता के अधिग्रहण के आधार पर उत्तीर्ण/असफल घोषित किया जाएगा।

2. उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक

i. उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 50% [100 में से 50] या राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण-1 के लिए अधिकतम संभव रॉ स्कोर का आधा होगा।

ii. राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण-1 के लिए, छह पेपरों में से प्रत्येक में न्यूनतम 50% [100 में से 50] या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम संभव रॉ स्कोर का आधा स्कोर किया जाना चाहिए

राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण-1 चक्र में उपर्युक्त उम्मीदवार के स्कोर की गणना के लिए विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1: उम्मीदवार क ने 2 विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं और 4 विषयों में असफल रहा है। वह / वह राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 के राष्ट्रीय निकास परीक्षा चक्र में उपस्थित हो सकता है और यदि उसने बाकी 4 विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2: उम्मीदवार क ने 2 विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं और 4 विषयों में असफल रहा है। वह राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण-1 के राष्ट्रीय निकास परीक्षा चक्र में उपस्थित हो सकता है और यदि उसने 2 विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं, तो वह राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण-1 के राष्ट्रीय निकास परीक्षा चक्र में उपस्थित हो सकता है और यदि उसने स्कोर किया है शेष 2 विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं तो उसे उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाएगा।

3. व्यापक विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से योग्यता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 के अंकों की गणना

i. व्यापक विशेषताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से केवल एकल राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 परीक्षा में प्रत्येक पेपर/ विषय में प्राप्त कच्चे अंकों के योग से गणना की जाएगी।

ii. व्यापक विशेषताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 का स्कोर पांच साल के लिए वैध रहेंगे। हालाँकि, यदि उम्मीदवार राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 के राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 से लेकर अगली परीक्षा चक्र में उपस्थित होता है, तो पिछला राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 का स्कोर व्यापक विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रैंक के निर्धारण के लिए अमान्य होगा और केवल अंतिम प्रयास राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 का स्कोर निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

iii. एक शैक्षणिक वर्ष में व्यापक विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रैंक निर्धारित करने के लिए, उम्मीदवार को समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से रैंक के स्तर को लागू करने की आवश्यकता होती है। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने रैंक बनाने के लिए आवेदन किया है, वे उस शैक्षणिक वर्ष चक्र में प्रवेश के पात्र होंगे।

iv. रैंक बनाने के लिए टाई ब्रेकर नियम:

क) एकल का स्कोर चरण-1 परीक्षा में प्रत्येक पेपर/विषय में प्राप्त अपरिष्कृत अंकों का सामान्यीकृत योग राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण- I परीक्षा चक्र के लिए राँ अंकों के योग के सामान्यीकरण की विधि आयोग द्वारा आवश्यक होने पर अधिसूचित की जाएगी।

ख) राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 में शामिल कम अवसरों वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा।

ग) वरीयता के निम्नलिखित क्रम में उच्च अंक वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा:

1. चिकित्सा और संबद्ध विषय

2. सर्जरी और संबद्ध विषय
3. प्रसूति एवं स्त्री रोग
4. बाल चिकित्सा
5. ओथोरिनोलरींगोलॉजी
6. नेत्र विज्ञान

4. राष्ट्रीय निकास परीक्षा स्कोर की उपयोगिता

i. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप विनियम 2021 द्वारा शासित इंटर्नशिप को आगे बढ़ाने के लिए अनंतिम पंजीकरण के लिए एक भारतीय मेडिकल स्नातक की योग्यता

स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से एक मेडिकल छात्र अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे हों:

क) राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण -1 के छह थ्योरी पेपर्स में से प्रत्येक में पास करें जैसा कि ऊपर बताए गए सेक्शन 2.3 (2) में दिया गया है।

और

ख) III एमबीबीएस / अंतिम एमबीबीएस (भाग 2) में उत्तीर्ण व्यावहारिक / नैदानिक परीक्षा संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा विनियमित

ii. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप विनियम 2021 द्वारा शासित इंटर्नशिप को आगे बढ़ाने के लिए अनंतिम पंजीकरण के लिए एक विदेशी मेडिकल स्नातक की योग्यता

एक मेडिकल छात्र जिसने विदेशों में स्नातक चिकित्सा शिक्षा पूरी की है और आयोग के विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट विनियमों में प्रदान की गई और लागू की गई आवश्यकताओं को पूरा किया है, ऐसे छात्रों अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित मानदंड पूरे हों:

अ) ऊपर धारा 2.3 (2) में दिए गए उपबंधो के अनुसार राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण चरण 1 के छह थ्योरी पेपर में से प्रत्येक में उत्तीर्ण हो ।

iii. भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने की पात्रता और इस तरह के अभ्यास के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर / राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत होने की पात्रता।

भारतीय चिकित्सा स्नातक या विदेशी चिकित्सा स्नातक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर / राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत होने के पात्र होंगे जैसा भी मामला हो और भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित सभी को पूरा किया जाए:

क) धारा 2.3 (4) (i) उपखंड (क) और (ख) या धारा 2.3 (4) (ii) में प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लागू इंटर्नशिप की उचित अवधि पूरी कर ली है।

ख) राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 [व्यावहारिक / नैदानिक] परीक्षा उत्तीर्ण की है जैसाकि धारा 2.2 में लागू हो सकती है।

ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मेडिकल प्रैक्टिशनरों के पंजीकरण और प्रैक्टिस मेडिसिन विनियमों के लाइसेंस के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति।

घ) आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी अन्य आवश्यकताओं को उपयुक्त माना जा सकता है।

iv. आयोग द्वारा अनुमोदित कॉलेज/संस्थान में बोर्ड विशेषता विषयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता।

वे सभी जिन्हें अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है और जो इस तरह के अभ्यास के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर / राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत हैं, उपर्युक्त धारा 2.3 (4) उपधारा (iii) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, व्यापक रूप से विशिष्ट स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं। आयोग द्वारा अनुमोदित एक कॉलेज में विशेष विषय में प्रवेश के लिए पात्र है, बशर्ते निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे हों-

क) उपर्युक्त धारा 2.3 (4) उपधारा (iii) के अधीन प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली का अभ्यास करने के लिए पात्र माना गया है और लाइसेंस दिया गया है।

ख) इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित नामित प्राधिकारी के माध्यम से आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से सामान्य परामर्श में भाग लिया हो ।

व्याख्या - वे सभी जिन्हें इस विनियम के शुरू होने के पूर्व अभ्यास करने का लाईसेंस जारी किया गया है और जो राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर/राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत हैं और जो ब्यपक विशिष्टताओं वाले स्नाकोत्तर पठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक हो, उन्हे राष्ट्रीय निकास परीक्षा के केवल चरण 1 में सम्मिलित होने की आवश्यकता है ।

v. *उपर्युक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा स्कोर का उपयोग [धारा 2.3 (4) की उपधारा (i) से (iv)]

भारत सरकार, राज्य सरकारें, भारत सरकार का कोई भी संगठन, राज्य सरकारें, कोई स्वायत्त या निजी निकाय/संस्था रोजगार, छात्रवृत्ति, फैलोशिप आदि जैसे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 स्कोर का उपयोग कर सकती हैं।

*एमबीबीएस की डिग्री फाइनल एमबीबीएस पास करने और एक साल की इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद प्रदान की जाएगी।

अध्याय 3

सामान्य जानकारी

3.1 राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 के बारे में जानकारी

1. राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 का उद्देश्य

राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 उच्च गुणवत्ता वाले बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) पर आधारित एक व्यापक कंप्यूटर-आधारित परीक्षा होगी, जो वस्तुपरकता सुनिश्चित करेगी और एक सुरक्षित तरीके से असंदिग्ध निष्ठा के साथ राष्ट्रव्यापी वितरण और संचालन का पालन करेगी। एमसीक्यू आइटम भारतीय मेडिकल स्नातक या विशेष रूप से भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली का अभ्यास करने वाले स्नातक से अपेक्षित दक्षताओं से जुड़े ज्ञान के उच्च क्षेत्र को संबोधित करेंगे।

2. मदों का वितरण और प्रश्नों का ज्ञान स्तर

i. चिकित्सा शिक्षा के उच्च क्षेत्र के मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए, अधिकांश मदों में उच्च स्तर की समझ, विश्लेषणात्मक कौशल नैदानिक समस्या-समाधान का परीक्षण किया जाएगा जो दक्षताओं से जुड़े हैं।

ii. राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 प्रारूप का उद्देश्य मेडिकल छात्रों द्वारा रट्टा सीखने को हतोत्साहित करना है।

iii. केस विगनेट्स/क्लिनिकल केस परिदृश्य परीक्षा का मजबूत पैटर्न होगा।

iv. सभी विषयों में एमसीक्यू आइटम लगभग निम्नानुसार वितरित किए जाएंगे:

- समस्या-समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल प्रकार 60-70%
- समझने की शक्ति 20-30%
- स्मरण रखने की प्रवृत्ति 5-10%

हालांकि, वितरण में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है

v. दक्षताओं के अधिग्रहण से संबंधित ज्ञान का स्तर लगभग होगा:

- पता होना चाहिए 60%
- जानकर खुशी हुई 30%
- पता हो 10%

3. **पेपर और विषयों का वितरण**

i. राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 1 परीक्षा में प्रश्नों और समय आवंटन में संबंधित वरीयता के साथ छह विषय के पेपर होंगे।

ii. फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी (एफएमटी) और कम्युनिटी मेडिसिन सहित एमबीबीएस के अन्य सभी विषयों के अनुप्रयुक्त पहलुओं को प्रासंगिक नैदानिक विषयों में मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा।

iii. प्रत्येक पेपर में लगभग 10% प्रश्न संबंधित विषयों के अनुप्रयुक्त पहलुओं से संबंधित होंगे।

iv. निम्नलिखित तालिका 1 प्रत्येक पेपर में विषयों को संबंधित मदों की संख्या और आवंटित समय के साथ दर्शाता है ।

पत्र	विषय	मदों की संख्या	अवधि
1.	चिकित्सा और संबद्ध विषय	120 आइटम	3.0 घंटे
2.	सर्जरी और संबद्ध विषय	120 आइटम	3.0 घंटे
3.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	120 आइटम	3.0 घंटे
4.	बाल चिकित्सा	60 आइटम	1.5 घंटे
5.	ओथोरिनोलरींगोलॉजी	60 आइटम	1.5 घंटे
6.	नेत्र विज्ञान	60 आइटम	1.5 घंटे

4. प्रश्नपत्रों का प्रस्तावित समय निर्धारित (तालिका 2)

दिन	विषय	अवधि	विराम	विषय	अवधि
1.	चिकित्सा और संबद्ध विषय	3.0 घंटे	2.0 घंटे	बाल चिकित्सा	1.5 घंटे
2.	आराम का दिन कोई परीक्षा नहीं				
3.	सर्जरी और संबद्ध विषय	3.0 घंटे	2.0 घंटे	ओथोरिनोलरींगोलॉजी	1.5 घंटे
4.	आराम का दिन कोई परीक्षा नहीं				
5.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	3.0 घंटे	2.0 घंटे	नेत्र विज्ञान	1.5 घंटे

उपरोक्त अनुसूची व्यवहार्यता और संभार तंत्र के अधीन केवल सांकेतिक है।

3.2 राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 के बारे में जानकारी

1. अगले चरण 2 के संबंध में उद्देश्य

अगला चरण 2 इंटर्नशिप पूरा होने के बाद आयोजित की जाने वाली एक व्यापक व्यावहारिक / नैदानिक परीक्षा होगी जिसमें विशेष रूप से भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के अभ्यास के लिए आवश्यक नैदानिक निदान, रोगी परीक्षा और नैदानिक निर्णय लेने, व्यावहारिक और संचार कौशल में दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

2. मूल्यांकन के तरीके

प्रत्येक परीक्षा में शामिल होंगे: -

- **वास्तविक मामले**
- **वस्तुपरक संरचित नैदानिक परीक्षा (ओएससीई)**
- **यदि संभव हो तो अनुकरण**

संतोषजनक या असंतोषजनक प्रदर्शन की क्षमता के आधार पर ग्रेडिंग के केवल दो स्तर होंगे "सक्षम" या "उत्तीर्ण"/"सक्षम नहीं" या "असफल"।

3. विषयों का वितरण

एनईएक्सटी चरण 2 के दौरान निम्नलिखित विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा:

i. चिकित्सा और संबद्ध विषय

ii. सर्जरी और संबद्ध विषय

iii. प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान

iv. बाल चिकित्सा

v. ओथोरिनोलरींगोलॉजी

vi. नेत्र विज्ञान

vii. हड्डी रोग और शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास (पीएमआर)

4. समय अनुसूची

राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 की समय-सारणी और तौर-तरीके राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और संबंधित अधिकृत विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा इंटर्नशिप पूरा होने के बाद और उस वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया से पहले तय किए जाएंगे।

3.3 राष्ट्रीय निकास परीक्षा और संबंधित घटनाओं की समय सारिणी

राष्ट्रीय निकास परीक्षा, इंटर्नशिप और विस्तृत विशेषज्ञता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया की समय-सारणी आयोग और आयोग द्वारा अधिकृत अन्य निकायों द्वारा घोषित की जाएगी।

प्रस्तावित/संभावित समय-सारणी नीचे दी गई तालिका में दी गई है, जो समय-समय पर आवश्यक परिवर्तनों के अधीन है और उचित रूप से अधिसूचित की गई है।

क्र.सं.	कार्यक्रम	परीक्षा/शुरू होने की तारीख	परिणाम/पूर्ण होने की तिथि
1.	राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण I	मई/नवंबर	पहला सप्ताह जून/दिसंबर
2.	III एमबीबीएस / फाइनल एमबीबीएस भाग 2 प्रैक्टिकल / क्लिनिकल यूनिवर्सिटी परीक्षा	पहला सप्ताह जून/दिसंबर	तीसरा सप्ताह जून/दिसंबर
3.	प्रशिक्षण	पहली जनवरी/जुलाई	31 दिसंबर/30 जून अगले वर्ष
4.	राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 नियमित	तीसरा सप्ताह जून/दिसंबर	जून/दिसंबर का चौथा सप्ताह
5.	राष्ट्रीय निकास परीक्षा चरण 2 अनुपूरक	पहला सप्ताह सितम्बर/मार्च	तीसरा सप्ताह सितम्बर/मार्च
6.	स्नातकोत्तर प्रवेश	मई-जून (परामर्श)	30 जून
7.	परास्नातक पाठ्यक्रम	पहला जुलाई/पहला सप्ताह जनवरी	----------

टिप्पणी: मई जून में होने वाले काउंसलिंग के पश्चात बच गई सीटों के लिए दिसम्बर महीने में पुनः काउंसलिंग की जाएगी

डॉ पुलकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./228/2023-24]

टिप्पणी: ये विनियम अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे है, इन विनियमों की व्याख्या के मामले में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2023

F. No. CDN-19012/15/2022/Coord.-NMC.—In exercise of the overall powers conferred upon the National Medical Commission in general and particularly vide Section 15 read with Section 57 of the National Medical Commission Act, 2019 [Act 30 of 2019], the National Medical Commission hereby make the following Regulations, namely-

Chapter 1

PRELIMINARY, SHORT-TITLE, DEFINITIONS

1. Short Title and Commencement

a) These regulations shall be called the "NMC, National Exit Test Regulations, 2023.''

b) These Regulations shall come into force at once from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions

a) "Act" shall mean the National Medical Commission Act, 2019 (Act 30 of 2019).

b) "Chairperson" shall mean the Chairperson of the National Medical Commission appointed under Section 5 of the Act.

c) "Commission" or "NMC" means the National Medical Commission constituted under Section 3 of the Act.

d) "Council" or "MAC" means the Medical Advisory Council constituted under section 11 of the Act.

e) "Foreign Medical Graduate" shall mean a graduate with a medical degree from any country other than India; and recognized for registration to practice modern system of medicine in India subject to fulfillment of requirements and conditions as may be notified and applicable by the appropriate bodies and the Government of India from time to time.

f) "Member" shall mean a Member of the Commission appointed under Section 5 of the Act and shall include the Chairperson thereof.

g) "NExT": shall be the abbreviated form for National Exit Test as specified in the Act.

h) "Notification" means notification published in the Official Gazette of India and the expression "notify" shall be construed accordingly.

i) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

j) "President" means the President of an Autonomous Board appointed under Section 18 of the Act.

k) "Recognized medical qualification" means a medical qualification recognized under Sections 35 or 36 or 37or 40, of the Act, as the case may be.

l) "Regulations" means the Regulations made by the Commission under this Act.

m) "Schedule" means the Schedule of this Act.

Interpretation –

Words and phrases used in these Regulations which are not defined here, but defined in the National Medical Commission Act, 2019 shall have the same meaning assigned to them there.

3. General

1. The Commission or an appropriate body or authority or institution as approved by the Commission shall conduct the National Exit Test as specified hereunder.
2. The National Exit Test (NExT) shall form the basis of:
    i. Certifying the eligibility of the medical graduate to register to practice the modern system of medicine in India and therefore serve as a Licentiate Examination.
    ii. Determining the eligibility and ranking for the purpose of admission of those desirous of pursuing further Postgraduate Medical Education in the country in broad medical specialities and therefore serve as an entrance Examination for admission to courses of Postgraduate Medical Education.
3. The following shall undertake the National Exit Test (NExT)
    i. All undergraduate medical students pursuing the degree of MBBS in all Medical Colleges as approved by the National Medical Commission including Institutes of National Importance.
    ii. All Foreign Medical Graduates fulfilling the requirement of foreign medical graduate Licentiate Regulation by the National Medical Commission for the purpose of obtaining a licence to practice medicine as a registered medical practitioner in India and for enrollment in the State Register or the National Register, as the case may be in such manner as may be specified by regulations.
    iii. Any other person with a Medical Degree for purposes such as pursuing an academic course, observership or any other purposes as may be specified and approved by the National Medical Commission through due notification or regulations from time to time.
    iv. All those who have been granted a Licence to practice and are Registered in the National Medical Register / State Medical Register as the case may as per applicable regulation at that time for such practice &who wish to take admission to Postgraduate courses in broad specialities.
4. The Commission shall specify, from time to time, by appropriate regulations and /or notification the applicable manner of utilizing the results of the NExT for the purpose of admission to Postgraduate Courses in broad medical specialties through mechanisms such as common counselling by designated authority.
5. It is implied that whenever the NExT is in force, the corresponding equivalent existing Examinations shall be phased out/cease to be applicable for the purpose for which the NExT shall be appropriate. However, if for previous batches the existing examinations are applicable as may be decided by the Commission, then the existing examinations shall continue for such time as deemed appropriate to the Commission with the understanding that the NEXT shall eventually replace the corresponding equivalent existing examinations. The use of scores and normalization of different examinations and the NEXT, when applicable concurrently, for such purpose as may be appropriate, shall be determined as and when necessary and notified by the Commission.

Chapter 2

Broad outline and General Features of the NExT

2.1 NExT Step 1

i. NExT Step 1 shall be a Theory Examination.

ii. The Questions shall be one or more than one type of Multiple-Choice Type.

iii. The Examinations shall be conducted through a Computer Based Online mode.

iv. The Commission will specify by regulations and/or by notification the manner of conducting common counselling by the designated authority for admission to the postgraduate broad-specialties seats in the medical institutions. The Government of India will decide and notify the agency of counseling of all broad specialties postgraduate seats.

v. The Examination shall consist of Six papers covering subjects of III MBBS /Final MBBS, both Part 1 and Part 2:

- Medicine and allied disciplines
- Surgery and allied disciplines
- Obstetrics and Gynaecology

- Paediatrics
- Otorhinolaryngology
- Ophthalmology

(Applied aspects of all subjects covered under I MBBS and II MBBS & Applied aspects of all subjects covered under III MBBS /Final MBBS Part 1)

vi. All those students who have completed the III MBBS /Final MBBS course from a medical college approved/recognized by the Commission shall be eligible to appear in the examination.

vii. There shall be regular NExT Step 1 Examinations held twice a year in the months of May and November or any other time as may be notified by the Commission.

viii. There is no restriction to the number of attempts to appear in NExT Step 1 provided the candidate has passed both NExT Step 1 and NExT Step 2 Examination within 10 years of joining the MBBS Course.

ix. There is no restriction to the number of attempts to appear in the NExT Step 1 Examination to improve scores provided these examinations for improvement of scores are taken after completion of NExT Step 2. Candidate is not entitled to appear in NExT step I for improvement of score till completion of NExT 2.

x. The NEXT Step 1 shall replace the conventional university/institutional Theory Examinations of III MBBS /Final MBBS Part II. III MBBS /Final MBBS Part 1 and III MBBS/ Final MBBS Part II Practical/ clinical examinations shall continue to be held conventionally unless otherwise notified by the Commission.

2.2 NExT Step 2

i. NEXT Step 2 shall be a Practical /Clinical and Viva Voce Examination covering seven clinical subjects/disciplines.

- Medicine and allied disciplines
- Surgery and allied disciplines
- Obstetrics and Gynaecology
- Paediatrics
- Otorhinolaryngology
- Ophthalmology
- Orthopaedics and PMR (Physical Medicine and Rehabilitation)

ii. The examination shall be Objective Structured, Clinical Case Based, Simulated Cases /Patients aimed at evaluating Practical /Clinical skills, clinical decision-making and communication skills expected of an Indian Medical Graduate.

iii. The examination shall be held in person and shall be conducted by the respective state Health Universities / Institutions following the standards and guidelines provided by the Commission. Where state Health Universities do not exist, the Commission shall decide on the University/ Institution authorized to conduct NExT Step 2 for respective colleges.

iv. There shall be a Regular NExT Step 2 Examination twice a year.

v. A NExT Step 2 Supplementary Examination shall be held twice a year and is restricted to only those candidates who have failed in one or more of the seven subjects and are required to repeat subjects. If a candidate fails in more than three subjects, she/He must appear in all the seven subjects afresh in supplementary examination.

vi. There is no restriction to the number of attempts to appear in NExT Step 2 provided the candidate has passed NExT Step 1 and NExT Step 2 Examination within 10 years of joining the MBBS Course.

2.3 NExT Score

1. Nature of Scoring

i. The marks in NExT Step 1 shall be calculated as whole number which shall serve as the Raw Scores with appropriate decimals and subsequently corresponding Percentages [marks out of a maximum of 100] with appropriate decimals may be calculated if required.

ii. NExT 2 Examinations results shall be declared as only Pass/Fail based on the acquisition of appropriate competence that is being evaluated.

2. Minimum scores to Pass:

i. The minimum marks for passing shall be 50% [50out of 100] OR half of the maximum possible Raw scores for NExT Step-1.

ii. For the NExT Step-1, in each of the six papers a minimum of 50% [50 out of 100] OR half of the maximum possible Raw Scores should be scored to pass the examination.

For calculations of above candidate score across NExT-Step-1 examination cycle will be considered.

Explanation 1: Candidate A has scored minimum passing marks in 2 subjects and failed in 4 subjects. He/ She can appear in NExT exam cycle of NExT Step-1 and if She/He has scored the minimum passing marks in rest 4 subject then He/ She will be considered to have fulfilled the above criteria.

Explanation 2: Candidate A has scored minimum passing mark in 2 subjects and failed in 4 subjects. He/ She can appear in NExT exam cycle of NExT Step-1 and if She/He has scored the minimum passing marks in 2 subjects then She/ He can appear in NExT exam cycle of NExT Step-1 and if She/he has scored the minimum passing marks in remaining 2 subjects then She/he will be considered to have fulfilled the above criteria.

3. Calculation of NExT Step 1 scores for determining merit for the purpose of admission to Postgraduate courses in broad specialties

i. for the purpose of determining merit for admission to broad specialty Postgraduate Course shall be calculated from the sum of raw scores obtained in each paper /subject in single NExT step-1 examination only.

ii. For determining merit for admission to broad -specialty Postgraduate Course the NEXT Step-1 scores shall remain valid for five years. However, if candidate is appeared in NExTexam cycle of NExT step-1 then previous NExT step-1 score would be invalid for determination of rank for admission into Postgraduate courses in broad specialties and only last attempt NExT step-1 score would be considered for determination of the rank.

iii. To determine rank for admission into Postgraduate courses in broad specialties in an academic year, the candidate need to apply generation of a rank in a manner as prescribed by the Commission time to time. Only those candidates who have applied for generation of rank will be entitled for admission in that academic year cycle.

iv. Tie breaker rule for generation of rank:

a) The Normalized sum of raw scores obtained in each paper /subject in single NExT step-1 examination. Method of Normalization of sum of raw scores for across NExT Step-I examination cycle will be notified as and when necessary, by the commission.

b) Candidate with Lower attempts of NExT step-1 will be given higher rank.

c) Candidate with Higher marks in following order of preference will be given higher rank:

1. Medicine and allied disciplines
2. Surgery and allied disciplines
3. Obstetrics and Gynaecology
4. Paediatrics
5. Otorhinolaryngology
6. Ophthalmology

4. Utility of NExT Scores

i. **Eligibility of an Indian Medical Graduate for Provisional registration to pursue Internship as governed by the Compulsory Rotating Medical Internship Regulations 2021of the National Medical Commission**

A Medical student from a college recognized by the Commission for imparting undergraduate medical education shall be eligible for Compulsory Rotating Internship provided all of the following criteria are met:

a) Pass in each of the six Theory Papers of NExT Step-1 as provided in Section 2.3 (2) as indicated above.

AND

b) Pass in III MBBS/ Final MBBS (Part 2) Practical / Clinical Examination as regulated by the concerned University/Institution

ii. **Eligibility of a Foreign Medical Graduate for Provisional Registration to pursue Internship as governed by the Compulsory Rotating Medical Internship Regulations2021 of the National Medical Commission**

A medical student who has completed undergraduate medical education overseas and has fulfilled the applicable requirements provided in the Foreign Medical Graduate Regulations of the Commission shall be eligible for Compulsory Rotating Internship as approved for such students provided the following criteria are met:

a) Pass in each of the six Theory Papers of NExT Step 1 as provided in Section 2.3 (2) as indicated above.

iii. Eligibility for grant of Licence to practice modern system of medicine in India and eligibility to be registered in the National Medical Register / State Medical Registers for such practice.

Indian Medical graduate or foreign medical graduate shall be eligible to be registered in the National Medical Register / State Medical Register as the case may be andlicence to practice modern system of medicine in India provided all of the following are met with:

a) Has completed the appropriate duration of Internship as applicable, having fulfilled the requirements provided in Section 2.3 (4) (i) Subsection (a) and (b) or Section 2.3 (4) (ii) as may be applicable.

b) Has passed the NExT Step 2[Practical / Clinical] Examination provided in Section 2.2 as may be applicable.

c) Fulfillment of requirements as per Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, of the National Medical Commission.

d) Any other requirements may be considered appropriate by the Commission as notified from time to time.

iv. Eligibility for admission to Postgraduate Medical Courses in Board specialty subjects in a college/institution approved by the Commission.

All those who have been granted Licence to practice and are Registered in the National Medical Register / State Medical Register for such practice having fulfilled the requirements in Section 2.3 (4) Subsection (iii) above, are eligible for admission to Postgraduate Medical Courses in broad specialty subjects in a college approved by the Commission provided all of the following criteria are met with-.

a) Has been eligible and granted Licence to practice modern system of medicine in India having fulfilled the requirements provided under Section 2.3 (4) Subsection (iii) above.

b) Has participated in the manner of common counselling as prescribed by the Commission through designated authority approved by the Commission for the purpose.

Explanation:- All those who have been granted a Licence to practice and are Registered in the National Medical Register / State Medical Register before the commencement of this regulation & who wish to take admission to Postgraduate courses in broad specialities need to appear in NExT Step-I Only.

v. *Utilization of NExT Scores for purposes other than above [Section 2.3 (4) Subsections (i) to (iv)]

The Government of India, the State Governments, any organization of the Government of India, the State Governments, any autonomous or private body /institution may utilize the NExT Step 1 scores for purpose such as employment, scholarship, fellowship etc.

*MBBS degree will be awarded after passing of Final MBBS and successful completion of one-year internship.

CHAPTER 3

GENERAL INFORMATION

3.1 Information regarding NExT Step 1

1. The objective of NExT Step 1

The NExT Step 1 will be a comprehensive computer-based examination based on high-quality Multiple- Choice Questions (MCQs) ensuring objectivity and following nation-wide delivery and conduction with robust fidelity in a secure manner. The MCQ items would address higher domains of knowledge aligned to competencies expected of an Indian Medical Graduate or a graduate practicing modern system of medicine especially in India.

2. Distribution of Items and knowledge level of Questions

i. To ensure assessment of higher domains of medical learning, a majority of items shall test higher level comprehension, analytical skills clinical problem-solving that are aligned to competencies.

ii. NExT Step 1 format is intended to discourage rote learning by medical students.

iii. Case vignettes / clinical case scenarios shall be the overwhelming Pattern of examination.

iv. MCQ items in all subjects shall be distributed approximately as follows:

- Problems-solving and analytical skill types 60-70%
- Comprehension type 20-30%
- Recall type 05-15%

However, variations in the distribution may be expected.

v. The level of Knowledge related to the acquisition of competencies shall be approximately:

- Must Know 60%
- Nice to Know 30%
- May Know 10%

3. Papers and Distribution of Subjects

i. The NExT Step 1 examination will have six subject papers with respective weightage in items and time allocation.

ii. Applied aspects of all other subjects of MBBS including Forensic Medicine and Toxicology (FMT) and Community Medicine will be mainstreamed into the relevant clinical subjects.

iii. In each paper approximately 10% items will pertain to applied aspects of related subjects.

iv. The following Table 1 provides the subjects in each paper with respective number of items and time allotted.

Table 1

Papers	Subjects	No of Items	Duration
1.	Medicine & allied subjects	120 Items	3.0 hours
2.	Surgery & allied subjects	120 Items	3.0 hours
3.	Obstetrics & Gynaecology	120 Items	3.0 hours
4.	Paediatrics	60 Items	1.5 hours
5.	Otorhinolaryngology	60 Items	1.5 hours
6.	Ophthalmology	60 Items	1.5 hours

4. Proposed Time Scheduled of Papers (Table 2)

Day	Subject	Duration	Break	Subject	Duration
1.	Medicine & allied subjects	3.0 hours	2.0 hours	Paediatrics	1.5 hours
2.	Rest Day No Examination				
3.	Surgery & allied subjects	3.0 hours	2.0 hours	Otorhinolaryngology	1.5 hours
4.	Rest Day: No Examination				
5.	Obstetrics &Gynaecology	3.0 hours	2.0 hours	Ophthalmology	1.5 hours

The above schedule is only indicative subject to feasibility and logistics.

3.2 Information regarding NExT Step 2

1. Objective regarding NEXT Step 2

The NEXT Step 2 shall be a comprehensive practical / clinical examination to be conducted after completion of Internship that evaluated competencies in clinical diagnosis, patient examination and clinical decision-making, practical and communication skills necessary for practice of modern system of medicine especially in India.

2. Evaluation methods

Each examination would comprise of: -

- **Actual cases**
- **Objective Structured Clinical Examination (OSCE)**
- **Simulations if possible**

Depending on the ability of satisfactory or unsatisfactory performance there shall be only two level of grading "Competent or "Pass" / "Not Competent" or "Fail."

3. Distribution of Subjects

The following subjects shall be evaluated during NExT Step 2:

i. Medicine and allied subjects

ii. Surgery and allied subjects

iii. Obstetrics and Gynaecology

iv. Paediatrics

v. Otorhinolaryngology

vi. Ophthalmology

vii. Orthopaedics and Physical Medicine & Rehabilitation (PMR)

4. Time Schedule

The time schedule and modalities of NExT Step 2 shall be decided by the National Medical Commission and the respective authorized Universities / Institutions after completions of internship and prior to the admission process for the Postgraduate Courses of that year.

3.3 Time Schedule of NExT Examination and associated events

The time schedule of the entire process of NExT Examination, internship and admission to broad specialty Postgraduate courses shall be announced by the Commission and other bodies authorized by the Commission.

The proposed / likely time schedules are provided in the table below subject to changes as may be necessary from time to time and duly notified appropriately.

Sl. No.	Event	Date of Exam / Commencement	Date of Result/ Completion
1.	NExT Step I	May/November	1st week June/December
3.	III MBBS /FINAL MBBS PART 2 Practical / Clinical University	1st Week June/December	3rd Week June / December

	Examination		
4	Internship	1st January/July	31st December/30th June following year
5.	NExT Step 2 Regular	3rd Week June/ Dec	4th week of June/Dec
6.	NExT Step 2 Supplementary	1st week Sep/March	3rd week Sep/March
7.	Post Graduate Admission	May-June (Counselling)	30th June
8.	Postgraduate Course	1st July/ 1st week January	----------

Note: -There shall again be a counselling in the month of December for the seats which remain vacant after earlier counselling held in May-June.

Dr. PULKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./228/2023-24]

Note: These Regulations are being published in English and Hindi, the English version shall prevail in case of any doubt about the interpretation of these Regulations.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.